

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 1973/श्रावण 12, 1895
No. 13] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 1973/SRAVANA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF DEFENCE

(Navy Branch)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May 1973

S.R.O. 13-E.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 22E, dated the 18th February, 1964, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Fourth Amendment) Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of regulation 154.**—In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964, in regulation 154, in sub-regulation (2), after explanation 1,

(1) the following Explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation 2.—In the case of officers employed permanently on provost duties, the condition of obtaining full Naval Watchkeeping Certificate may be waived.”

(2) the existing Explanation 2 shall be renumbered as Explanation 3.

[NHQ Case No. AD/2225/71]

B. J. SENGUPTA, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

(नौसेना शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 1973

का० नि० आ०-13.-ई-नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 52) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 22 ई, तारीख 19 फरवरी, 1964 के साथ प्रकाशित नौसेना औपचारिकताएं, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का नाम नौसेना औपचारिकताएं सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 154 का संशोधन.—नौसेना औपचारिकताएं, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में, विनियम 154 में, उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्—

(1) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अस्तित्व में स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2—प्रावोस्ट कर्तव्यों पर स्थायी रूप से नियोजित आफिसरों के मामले में पूर्ण नौसेना पहरेदारी प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की शर्तें हटायी जा सकेंगी।”

(2) विद्यमान स्पष्टीकरण 2 की स्पष्टीकरण 3 के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाएगा।

[एन० एच० क्यू० केस सं० ए० डी०/2225/71]

डी० जे० सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव।